न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 67/2021/दावा

1 रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी डूकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 साधना शिक्षण संस्थान जरिये सचिव रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी डूकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

ब ना म

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

<u>दावा बाबत उद्घोषणा, बटंवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>

उपस्थिति–

1. श्री भंवर सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से।

निर्णय दिनांक – 14.07.2021

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2364 रकबा 1.4300 है0 तन ग्राम डूकिया पटवार हल्का डूकिया भू. अभि. नि. क्षैत्र डूकिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। उक्त भूमियों वादी संख्या 1 का हिस्सा 4843/14300 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 80/143 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1457/14300 है उसी अनुसार मौके पर काबिज है। उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1457/14300 हैक्टर है जो की राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक राजस्थान सरकार दर्ज है तथा उक्त भूमि मौके पर आम रास्ते के उपयोग उपभोग में आ रही है। उपरोक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड में विधिवत बटंवारा नहीं हुआ है मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज है। उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में बटंवारा करवाना चाहते है इस कारण वादीगण को "बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस" विधिवत बटंवारा करवाने के अधिकार प्राप्त है। वादीगण उपरोक्त भूमियों में काबिज है तथा वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर पेड पौधे लगाकर विकास किया है अलग अलग सीव नींव कायम कर रखी है। तथा मौके के अनुसार बटंवारा करवाने के लिये वाद पेश किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में वाद विवाद

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

होने का भय रहता है। इस कारण वादीगण विधिवत बटंवारा करवाना चाहते है ताकि अपने अपने हिस्से के अलग अलग नम्बर पड जाये तथा एवं अलग अलग विधिवत सींव नींव कायम हो जावे जिसे पक्षकारान में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो एवं अपनी अपनी भूमियों का और ज्यादा समुचित विकास हो सके। राजकीय एवं केन्द्रीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सहकृषको की सहमति आवश्यक हो जाती है जिसके लिए वादीगण को काफी परेशानी होती है। इस कारण वादीगण दिनांक 10.02.2021 तक कोई भी राजकीय एवं केन्द्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो वादीगण के साम्पतिक अधिकारों का हनन होगा जिसकी तलाफी कानूनन संभव नहीं होगी। और वादीगण को अनेक मुकदमेबाजी में फसना पडेगा। जिस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो क्षणप्रतिक्षण रूप से निरन्तर है। वादपत्र प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 2364 रकबा 1.4300 है0 तन ग्राम डूकिया पटवार हल्का डूकिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण को उसके हक हिस्से के मुताबिक एंकाकी खातेदार घोषित किया जावे तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे तथा लगान निर्धारित किया जावे।

2 वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतरामगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकन किया कि ग्राम डूकिया के ख.नं. 2364 रकबा 1.43 हैक्टर किस्म बारानी 3 की खातेदारी भूमि में से तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक भू.अ./2013/368 दिनांक 15.02.2013 के द्वारा रास्ते के लिए खातेदार नरेश कुमार पुत्र नथेसिंह का हिस्सा 1/2 में से 1/11 अर्थात रकबा 0.0650 हैक्टर व खातेदार रामदेव पुत्र मुलाराम हिस्सा 1/2 में से 7/62 अर्थात 7/124 रकबा 0.0807 हैक्टर अर्थात कुल रकबा 0.1457 हैक्टर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु समपर्ण का आदेश पारित होने के फलस्वरूप राजस्व रिकार्ड में मुताबिक आदेश के सिवायचक सरकार के नाम से अलग से बटटा नम्बर दर्ज ना होकर हिस्सों में ही समर्पित रास्ते का रेकार्ड में अंकन किया गया जबकि मौका जांच अनुसार उपरोक्त समर्पित रास्ते की भूमि रास्ते के रूप ही काम आ रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड का मौका अनुसार उक्त ख.नं. निम्नानुसार प्रस्तावित है :– (1) सिवायचक सरकार (रास्ता हेतु) ख.नं. 2364/2 रकबा 0.1457 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

किस्म बारानी 3 (2) रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 4843/4300 व साधना शिक्षण संस्थान डूकिया जरिये सचिव रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 80/143 ख.नं. 2364/1 रकबा 1.2843 हैक्टर किस्म बारानी 3 उपरोक्त अनुमोदन उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कियां जाना संभव है। वाद पत्र पर बहस वकील वादी सुनी गयी।

3 वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 2364 रकबा 1.4300 है0 तन ग्राम डूकिया पटवार हल्का डूकिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर सिवायचक सरकार (रास्ता हेतु) ख.नं. 2364/2 रकबा 0.1457 हैक्टर किस्म बारानी 3, रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 4843/4300 व साधना शिक्षण संस्थान डूकिया जरिये सचिव रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 80/143, ख.नं. 2364/1 रकबा 1.2843 हैक्टर किस्म बारानी 3 का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायालय को पालना से अवगत करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नोट - दिनांक - 22-7-2021 आवेदन 152 CPC स्वीकार हुआ। निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक - 14.07.2021 में रामदेवसिंह पुत्र मूलाराम हि. 4843/4300 व साधना शि.सं. डूकिया जरिये सचिव रामदेवसिंह हि. 80/143 के स्थान पर रामदेवसिंह पुत्र मूलाराम हि. 4843/12843 व साधना शिक्षण संस्थान डूकिया जरिये सचिव रामदेवसिंह पुत्र मूलाराम हि. 8000/12843 पढ़ा जावे

उपखण्ड अधिकारी, दांताराम

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रामदेवसिंह आदि बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा, बटंवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 67 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 14.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी श्री भंवरसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री इस प्रकार से जारी की जाती है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2364 रकबा 1.4300 है0 तन ग्राम डूकिया पटवार हल्का डूकिया तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में सिवायचक सरकार (रास्ता हेतु) ख.नं. 2364/2 रकबा 0.1457 हैक्टर किस्म बारानी 3, रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 4843/4300 व साधना शिक्षण संस्थान डूकिया जरिये सचिव रामदेव सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 80/143, ख. नं. 2364/1 रकबा 1.2843 हैक्टर किस्म बारानी 3 का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2021 को जारी की गई।

मोहर [seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)]

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ